न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–67/19 (आरसीएमएस नं. 2019/00105)

01. हरिनारायण,
02. बाबूलाल,
03. जगदीश,
04. हनुमान,
05. ओमप्रकाश,
06. विधानन्द पुत्रान स्व. श्री रामसहाय, जाति ब्राहाम्ण निवासीगण ग्राम गंवार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. सरोज देवी पत्नी श्री चेतन कुमार, जाति माली निवासी बी–17, मधुबन कॉलोनी, टोंक फाटक, टोंक रोड़, जयपुर राजस्थान।
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

03. बनवारी लाल पुत्र बद्रीनारायण,
04. दिनेश कुमार पुत्र बद्रीनारायण,
05. रमेशचन्द पुत्र बद्रीनारायण,
06. लालचन्द पुत्र बद्रीनारायण,
07. रामगोपाल पुत्र बद्रीनारायण,
08. पार्वती पत्नी,
09. राधेश्याम पुत्र सूज्या,
10. बाबूलाल पुत्र सूज्या,
11. बोदीलाल पुत्र भौंरीलाल,
12. ज्ञानेश्वर पुत्र सीताराम,
13. शंकरलाल पुत्र सीताराम,
14. पप्पूलाल पुत्र सीताराम,
15. पवन पुत्र सीताराम नाबालिंग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती संज्या देवी पत्नी स्व0 श्री सीताराम, समस्त जाति ब्राहाम्ण, निवासीगण ग्राम गंवार ब्राहाम्णान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

दिनांकः 14.10.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 16.02.2018 (प्रकरण संख्या 3/2018) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भूमि विवादग्रस्त की पत्थरगढी आदेश के आवेदन में अपीलार्थीगण को जानबूझकर उक्त कार्यवाही में पक्षकार नही बनाया गया जबकि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 की कृषि भूमियों की सीमाऐं आपस में लगी हुई है तथा अपीलार्थीगण खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 676 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 677 रकबा 0.16 हैक्टयर,

P.T.O.

खसरा नम्बर 678 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 679 रकबा 0.15 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.53 हैक्टयर भूमि वाके ग्राम गंवार तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है तथा प्रत्यर्थीगण ने जानूझकर अपीलार्थीगण पक्षकार नही बनाया गया जबकि सीमाज्ञान व पत्थरगढी के मामले में कानूनन आराजी के लगवां रकबे के खातेदारान को पक्षकार बनाना कानूनन आवश्यक है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 666, 664/135 में सेटलमेन्ट में दर्ज नक्शे अनुसार अपीलार्थीगण के अपने हिस्सो की भूमि में आता है जबकि नये नक्शे में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी में लगा दिये गये है जबकि उक्त भूमि आबादी भूमि है तथा अर्से दाराज से अपीलार्थीगण के नाम मकानात बाड़े इत्यादि बने हुऐ है उक्त विवादित नक्शे की दुरूस्ती हेतु एक वाद संख्या 179/2018 बाबत घोषणा दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश क्रमांक 887 दिनांक 06.03.2019 का आदेश बिना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर इन्द्राज किये बिना बाला–बाला ही पत्थरगढी व पुलिस इमदाद के आदेश सम्बन्धित तहसीलदार को पारित कर दिये, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अपीलार्थीगण के मध्य मूल रूप से विवाद का मुद्दा यह है कि सैटलमेन्ट में दर्ज राजस्व रिकार्ड के नक्शे व वर्तमान में मौजूदा नक्शे में दोनों की भूमियों की सीमाओं में काफी अंतर है जिसके लिऐ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दुरूस्ती इन्द्राज व घोषणा का वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा के अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरूद्ध पेश किया हुआ है, तथा आलौच्य आदेश में बेदखली की कार्यवाही बाबत कोई आदेश पारित नही है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को बेदखली की कार्यवाही नियमित वाद लम्बित रहने तक स्थगित की जानी चाहिये थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इसके बावजूद हाल ही में दिनांक 06.03.2019 को अपने पत्थरगढी आदेश पर पुनः खसरा नम्बर 66 व 664/1035 की पत्थरगढी के आदेश पारित किये है जो कानूनन अवैध है तथा पक्षकारान के हितों का गुणावगुण पर निस्तारण नियमित वाद में ही होना शेष है, ऐसी सूरत में बिना किसी अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड में इन्द्राजात किये बिना समय समय पर बाला–बाला पत्थरगढी के बार–बार आदेश पारित करना ही अपने आप में अवैध व शून्य है ऐसी सूरत में पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी की कार्यवाही में पक्षकार बनाये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2018 व 06.03.2019 अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2018 व दिनांक 06.03.2019 को निरस्त किया जाकर एवं प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किये जाने के अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किये जाने के आदेश प्रदान करें।

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुऐ कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त की नियमानुसार सीमाज्ञान कराने की कार्यवाही तहसीलदार सांगानेर द्वारा सभी व्यक्तियों के समक्ष सम्पन्न की गई इसलिये दिनांक 24.04.2017 से ही अपीलार्थीगण को भी उक्त संदर्भ में पूर्ण जानकारी है, प्रार्थीगण ने जिस स्थान पर सीमाज्ञान की कार्यवाही सम्पन्न की गई थी उसी स्थान पर पत्थरगढी किये जाने का नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर सभी प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को नोटिस एवं जानकारी दिये जाने के पश्चात् ही नियमानुसार पत्थरगढी की कार्यवाही किये जाने का अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2018 को पारित किया गया और मौके पर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की गई इन सभी की अपीलार्थीगण को प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2018 के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पटवारी हल्का खेडी गोकुलपुरा द्वारा दिनांक 27.06.2018, दिनांक 28.07.2018 व दिनांक 18.08.2018 को अपीलार्थीगण को नोटिस देकर सूचित किया गया और अपीलार्थीगण पत्थरगढ़ी की कार्यवाही के दौरान मौके पर उपस्थित रहे और गंभीर रूप से आपत्तियॉ व अवैधानिक कार्यवाहियें करते रहे, दिनांक 30.07.2018 को मौके पर तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर आदि द्वारा पत्थरगढी की कार्यवाही किये जाने पर अपीलार्थीगण द्वारा बाधा कारित की गई, दिनांक 03.08.2018 को अपीलार्थी संख्या 6 श्री विधानन्द ने लिखित में आपत्ति प्रस्तुत की जिसके पश्चात् दिनांक 20.08.2018 को पुलिस जाप्ता के साथ पत्थरगढी की कार्यवाही तहसीलदार पटवारी गिरदावर आदि द्वारा सम्पन्न करवाई गई जिनके समक्ष ही अपीलार्थी ने पत्थरगरढी को उखाड़ने की तथा जान से मार देने की धमकी दी, उसके पश्चात् उनके द्वारा दिनांक 02.09.2018 को की गई अवैध कार्यवाही व दिनांक 05.09.2018 को की गई चोरी की कार्यवाही की वजह से उत्तरदाता के पुत्र को पुलिस थाना में शिकायत करनी पड़ी और पुलिस थाना सांगानेर सदर ने दिनांक 15.09.2018 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जिस पर कार्यवाही विचाराधीन है। इन सभी कार्यवाहियों से अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की पूर्व से ही पूर्ण जानकारी होना संदेह से बाहर स्पष्ट होता है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त अपील में अपीलार्थीगण ने अपने आपको खसरा नम्बर 676, 677, 678, एवं 679, कुल किता 4 कुल रकबा 0.53 हैक्टयर का खातेदार कृषक होना जाहिर करते हुए उक्त अपील प्रस्तुत की है परन्तु अपीलार्थीगण के साथ जगदीश पुत्र मूलचन्द भी उक्त भूमि का सहकृषक है जिसने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2018 के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील संख्या संख्या 305/2018 प्रस्तुत की गई, उपरोक्त विर्णित अपील संख्या 67/2019 हरिनारायण बनाम सरोज देवी व अन्य में वर्णित आधारों पर ही न्यायालय श्रीमान् के समक्ष सामानन्तरण तथ्य अंकित करते हुये प्रस्तुत की है जो अपील दिनांक 30.01.2019 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जा चुकी है तथा चूँकि जगदीश पुत्र मूलचन्द भी

P.T.O.

न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत उक्त अपील में अपीलार्थीगण के साथ सहकृषक था इसलिये अपीलार्थीगण भी उक्त अपील में अपीलाधीन आदेश पारित किय जाने तथा उक्त अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की भी प्रारम्भ से पूर्व जानकारी थी परन्तु अपीलार्थीगण ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष कोई अपील प्रस्तुत नही की गई। उन्होने आगे कथन किया है कि अपील संख्या 305/2018 उनवानी जगदीश बनाम सरोज देवी न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त अपील में अपीलार्थीगण के अभिभाषक श्री आर.पी.शर्मा द्वारा प्रस्तुत की गई और न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत उक्त अपील संख्या 67/2019 भी अपीलार्थीगण की ओर से श्री आर.पी.शर्मा एडवोकेट ने ही प्रस्तुत की है जिन्हे पूर्व में प्रस्तुत उकत अपील की प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी होना संदेह से बाहर स्पष्ट होता हे परन्तु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त अपील वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए तथा गलत व आधारहीन तथ्य अंकित करते हुए प्रस्तुत की है जो खारिज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है की अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज फरमाया जावें तथा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2018 के विरूद्ध लगभग सवा साल पश्चात् श्री आर.पी. शर्मा एडवोकेट द्वारा अपीलार्थीगण की ओर से हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है जबकि श्री आर.पी.शर्मा एडवोकेट द्वारा पूर्व में भी अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2018 के विरूद्ध अपील संख्या 305/2018 उनवान जगदीश बनाम सरोज देवी दिनांक 06.08.2018 को प्रस्तुत की गई है जो न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 22.01.2019 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई है जिससे जाहिर हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2018 की जानकारी अपीलान्ट्स को प्रारम्भ से ही रही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है तथा अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।